Rudra Mukund Villas.

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं० ....257...../न० आ० वि०   दिनांक ..12.9.13..

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री ..मेसर्स रूद्रा रियलटेक.. ..प्रा० लि० डायरेक्टर श्री आनन्द कुमार अग्रवाल।.............. पिता/पति का नाम श्री ..स्व० अशोक अग्रवाल.. आराजी संख्या ..2217........... मौजा ..औरंगाबाद.. वार्ड .... में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

07/13 समूह आ० ... निर्माण ...

दिनांक 20

12/9/13
सहायक अभियन्ता (भवन)
(हस्ताक्षर)
कृते उपाध्यक्ष, वाराणसी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्मित अथवा पुनः निर्मित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, शॉप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो वह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर .... दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमींदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्ते :--

1. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि0 27.08.13 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
2. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग / उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
3. शासनादेश सं0--570 / 9--आ--1--भूकम्परोधी / 2001(आ0ब0) दिनांक 03 फरवरी, 2001 एवं शासनादेश सं0--772 / 9--आ--1--भूकम्परोधी / 2001(आ0ब0) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
4. स्वामित्व के सम्बन्ध में एवं प्रश्नगत आराजी तथा रास्ते के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई विवाद / तथ्य उजागर होते हैं तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व / जिम्मेदारी पक्ष / मानचित्र प्रस्तावक की होगी तथा उपरोक्त वर्णित दशा में विवाद / तथ्य उजागर होने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
5. आपको मानक के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
6. पक्ष एवं आर्किटेक्ट एवं स्ट्रक्चर इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा कोई अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष / आर्किटेक्ट / स्ट्रक्चर इंजीनियर की होगी।
7. पक्ष को स्थल पर मानक के अनुसार 150 पेड़ लगाना होगा।
8. पक्ष को मानचित्र में दर्शित बेसमेन्ट में वेन्टिलेशन की व्यवस्था मैकेनिकल होगा।
9. पक्ष द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21.05.13 में कहा गया है कि पूर्वी-उत्तरी कोने पर स्थित मन्दिर कुँआ मेरे द्वारा क्रय नहीं किया गया है। यद्यपि इसका रास्ता मेरे प्लाट से ही है। अतः मन्दिर में पूजा--अर्चना हेतु जाने आने वाले लोग मेरे प्लाट से ही जायेंगे। किसी के आने--जाने में अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा।
10. पक्ष को कुल पार्किंग का 10 प्रतिशत भाग Visitor Parking हेतु आरक्षित किया जायेगा जिसमें प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की जायेगी।
11. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, के सम्बन्ध में मलबा अपने भूखण्ड पर रखेगा।
12. पक्ष को स्वीकृत मानचित्र का निर्माण हम शपथकर्तागण के देख--रेख में होगा। निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा कोई अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी हम शपथकर्तागण की होगी।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 27.08.13, 10.09.13 एवं 10.09.13 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

नगर अभियन्ता (भवन)
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

सेवा में,

सहायक अभियन्ता,
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

विषय– आराजी संख्या 2917 मौजा–जैतपुरा, ईश्वरगंगी, वार्ड कोतवाली पर स्वीकृत ग्रुपहाउसिंग मानचित्र का शमन मानचित्र जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा स्वीकृत ग्रुपहाउसिंग मानचित्र बेसमेन्ट+स्टील्ड+6 तल स्वीकृत कराकर प्रार्थी द्वारा कार्य कराया जा रहा है। कार्य करते समय कुछ विचलन हो गया है एवं सातवें तल पर 02 यूनिट का अतिरिक्त निर्माण करा लिया गया है, जो शमनीय है। प्रार्थी उपरोक्त को शमन कराना चाहता है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का शमन मानचित्र स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्रार्थी

(आनन्द कुमार अग्रवाल)
निदेशक,
रूद्रा रिएलटेक प्रा0लि0,
संचिका संख्या 7/13 ग्रुपहाउसिंग
स्वीकृत दिनांक 16.08.2013

दिनांक– 21.05.2014

original आवेदन विहारी VDA की file में लगा है

सेवा में,

सचिव महोदय,
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

विषयः- आपके पत्रांक 112/वि0प्रा0/सचिव/17-18 दिनाँक 26.07.2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत करना है कि प्रार्थी द्वारा आ0नं0 179(अंश) मौजा-लालपुर अनौला में मानचित्र स्वीकृत करा कर निर्माण किया गया है। कार्य करते समय कुछ विचलन हो गया, जो शमनीय है का शमन मानचित्र प्राधिकरण में जमा करा दिया गया है, जो प्राधिकरण स्तर से लम्बित है।

आ0नं0 2917 मौजा जैतपुरा में मानचित्र स्वीकृत करा कर निर्माण किया गया है, जिसमें भी शमनीय विचलन हुआ है। जिसका शमन मानचित्र स्वीकृत हेतु प्राधिकरण में दिनाँक 21.05.2014 को शमन मानचित्र स्वीकृत हेतु प्राधिकरण में जमा किया गया। बार-बार आग्रह करने पर प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा पुनः दिनाँक 09.09.2015 व दिनाँक 14.03.2017 को पुनः शमन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उपरोक्त शमन मानचित्र यथाशीघ्र स्वीकृत करने की कृपा करें।

धन्यवाद

प्रार्थी

दिनाँक 27/07/17

आनन्द कुमार अग्रवाल
निदेशकः-रुद्रा रियलटेक प्रा0 लि0
मो0नं0 7897770039

original Pukar authorized of file

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

श्री आनन्द कुमार अग्रवाल,
निदेशक, रूद्रा रिएलटेक प्रा0लि0,
सी–27/273–सी13, दास नगर कालोनी,
मलदहिया, वाराणसी (मो0नं0 7897770039)

पत्रांक– 112/वि0प्रा0/सचिव/2017–18 दिनांक : 26-7-2017

विषय– जनपद वाराणसी में आप द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन बहुमंजिले भवनों (ग्रुपहाउसिंग) इत्यादि के सम्बन्ध में।

महोदय,

जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी के पत्र संख्या 9314(एस0टी0)–कैम्प–2017 दिनांक 22.03.2017 के अनुपालन में आप द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन बहुमंजिले भवनों के बावत स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये गये अनधिकृत निर्माणों इत्यादि की जांच प्राधिकरण के अभियन्ताओं की टीम द्वारा करायी गयी। जांच टीम द्वारा प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, आप द्वारा निर्माणाधीन/निर्मित 10 परियोजनाओं की जांच की गयी, जिनमें से श्री विट्ठलदास अग्रवाल वगैरह एवं मे0 रूद्रा रिएलटेक प्रा0 लि0 वजरिये श्री आनन्द कुमार अग्रवाल, आराजी संख्या 179 (अंश), मौजा–लालपुर, अनौला में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण में आंशिक विचलन एवं आराजी संख्या 2917, मौजा– जैतपुरा में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सातवें तल पर दो अतिरिक्त फ्लैटों के निर्माण होना पाया गया।

अतः एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दोनों परियोजनाओं में आप द्वारा स्वीकृत मानचित्र में किये गये विचलन व निर्माण के सम्बन्ध में स्थिति तत्काल अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय

(विशाल सिंह)
सचिव